संख्या- 22/2024/656/58-2024 /1708754

प्रेषक,

ओम प्रकाश वर्मा,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उद्यान अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 12 अप्रैल, 2024

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत औद्यानिक विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0-1000.00 लाख को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-02/बजट/2024-25 दिनांक 01.04.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आय-व्ययक में अनुदान संख्या 83-के अन्तर्गत औद्यानिक विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत आययकव्य-में प्राविधानित धनराशि रू0-1000.00 लाख (रूपया दस करोड़ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है जिसका विवरण निम्नंवत है -:

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उद्यान शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इस आशय का प्रमाणपत्र - निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। जहाँ आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही उपरोक्त मदों में व्यय किया जायेगा।

2- उद्यान शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित मदों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय

किया जाता है तो इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों प्राविधानों के अनुसार नियन्त्रक अधिकारी के नियन्त्रण में किया जायेगा।

4- स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण यथा वित्तीय नियमों के अनुसार शासनवित्त विभाग / को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

5- मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभागसमय पर निर्गत-शासन द्वारा समय/ शासनादेशों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- प्रश्नगत स्वीकृत में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र 0शासन के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04-03-2024 में दी गयी शर्तोंप्रतिबन्धों का पूर्ण अनुपालन/ किया जायेगा।

7- उपरोक्त शर्तों एवं अनुबन्धों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्क़रण विभाग तथा वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तरदायी होंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रूपये 9,00,00,000 (रूपये नौ करोड मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 2401007890700 औद्यानिक विकास कार्यक्रम मानक मद 27 सब्सिडी रुपये (2)रूपये 1,00,00,000 (रूपये एक करोड मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20242025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 2401007890700 औद्यानिक विकास कार्यक्रम मानक मद 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक-04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(ओम प्रकाश वर्मा)
विशेष सचिव।

https

संख्या22/2024/656(1)/2024-1708754, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज।

(3) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(विनय कुमार)
उप सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in